

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

श्री ईश्वरचंद्र ठाकुर (आई0डी0-3187),
तत0 मुख्य अभियंता,
सम्प्रति- अभियंता प्रमुख(सिंचाई सृजन),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय निर्णय का संसूचन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-1511 दिनांक-01.12.2021 द्वारा सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल में बरती गयी वित्तीय अनियमितता के संबंध में आरोप पत्र संलग्न करते हुए आपसे स्पष्टीकरण किया गया। सरकार के स्तर पर समीक्षोपरांत आपको आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का यह निर्णय आपको संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(संतोष कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-

1598

दिनांक-

12-10-2023

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 6, 7, 8, 9, 12, एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संतोष कुमार सिन्हा
12-10-23
सरकार के अवर सचिव